

खंड - IV : प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की क्षमता

1. पुरस्कार के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की पात्रता इस प्रकार होगी :
 - (i) मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से भारत सरकार के मंत्रालय;
 - (ii) संबंधित मुख्यमंत्री या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उप-राज्यपालों के अनुमोदन से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन;
 - (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित ऐसे संसद-सदस्य जोकि चयन समिति के सदस्य नहीं हैं ।
 - (iv) विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और सामान्यतया कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यरत पंजीकृत विख्यात गैर-सरकारी संगठन । तथापि, ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को स्क्रीनिंग समिति या चयन समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा;
 - (v) छानबीन समिति और चयन समिति द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति या संस्था ।
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (इसके बाद 'मंत्रालय' कहा जाए), द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के दौरान ऊपर उल्लिखित एजेंसियों को उपरोक्त उप-खण्ड 1 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन आमंत्रित करते हुए परिपत्र पत्र जारी किया जाएगा । अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में (गैर-सरकारी संगठनों) के लिए अनुबंध-I और (वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्ता) हेतु अनुबंध-II पर प्राप्त की जाएगी ।
3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख : यदि छानबीन समिति के अध्यक्ष का यह मत नहीं होता है कि ऐसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उपर्युक्त उप-खण्ड 2 में यथा संदर्भित जारी परिपत्र पत्र के प्रत्युत्तर में बढ़ाया जाना चाहिए, तब तक छानबीन समिति और चयन समिति उस वर्ष, जिसके लिए पुरस्कार दिया जाना है, के 31 अक्टूबर तक जिसमें 31 अक्टूबर भी शामिल है, मंत्रालय में प्राप्त नामांकनों पर विचार करेगी ।
4. सक्षम व्यक्तियों से पर्याप्त औचित्य के साथ समर्थित नामांकनों/सिफारिशों पर ही सामान्यतया विचार किया जाएगा । तथापि कोई नामांकन छानबीन समिति द्वारा विचार हेतु केवल इस आधार पर ही अमान्य नहीं होगा कि उक्त नामांकन इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में उल्लिखित सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है । इन सभी मामलों में, छानबीन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा ।